

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए</p>
--------------------	---	--

27/4/18

प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय..... ~~खा ल वादी~~ पर दिनांक 14/5/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कठुमार (अलवर)

14/5/18

पत्रावली कैम्प कोर्ट के फ्रेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने 515 के Not Pious किम के लोका के को कार्यवाही न हो पाये। अतः लोका वादी Not Pious के खाली किम जाना है जमानती फ्रेशल शुभा होकर हीलाने का हो शुभम्।  
S Dobs.

Not Pious  
Seel  
14/5/18